(c) whether it is also a fact that Government have transferred paper purchasing authority to Director of Printing from Stationery Department; and

(d) if so, whether the above mentioned transfer of paper purchasing authority is in accordance with General Financial Rules, 1963?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (b) The procurement and distribution of stationery items by the Government of India Stationery Office, Calcutta and its three Regional Stationery Depots at New Delhi, Bombay and Madras, have been resumed.

(c) and (d) The ad hoc purchase of printing paper, in respect of which there is no rate-contract, has been delegated to the Directorate of Printing, consequent upon decentralisation of the activities of the Directorate General of Supplies & Disposals. Wherever rate contracts of the Directorate General of Supplies and Disposals exist, purchase continues to be made through them. As such there is no violation of the General Financial Rules, 1963.

Cases of Cheating by the Builders

1282. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether some builders tempt the people by their false lucrative advertisements to book flats with them and thereafter cheat the buyers of their money by dishonouring the terms agreements;

(b) if so, how many such cases have come to light during the last three years in Delhi and the details of the modus operandi adopted by such builders, to cheat the public; and

(c) what action has been taken by Government against such unscrupulous builders and what steps have been taken to safeguard the interests of the public?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) The information is being colected and will be laid on the Table of the Sabha.

सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1283. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, बाल-आश्रमों, महिला-आश्रमों और विकास-गृहों को केन्द्रीय कोष से वर्ष-वार और जिला-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ इन संस्थाओं को पूर्ण रूप से मिल रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का समय-समय पर अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या-क्या खूबियां/त्रुटियां सामने आई हैं;

(घ) केन्द्रीय कोष से प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के आंवटन/वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितना प्रावधान किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी): (क) सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से दी जाती है। इस प्रकार के अनुदान का ब्यौरा एक स्थान पर नहीं रखा जाता। तथापि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में इस प्रकार के प्रमुख अनुदानों का ब्यौरा होता है। ये वार्षिक रिपोर्ट संसद के माननीय सदस्यों को भेजी जाती हैं और संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती हैं। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिये)

(ख) स्कीमों का पूरा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार बिभिन्न उपाय करती है। स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन आवधिक

रिपोर्टें/विवरणियां तथा लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरणों सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके किया जाता है।

(ग) महिला एवं बाल विकास से संबंधित स्कीमों की समय-समय पर समीक्षा, प्रबोधन और मूल्यांकन किया जाता है और जहां आवश्यक होता है, सुधार किया जाता है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित स्कीमों की योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना चर्चा के दौरान भी समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त मध्यावधि मूल्यांकन द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की भी समीक्षा की जाती है।

(घ) इन संगठनों को अनुदान और सहायता प्रदान करने का मापदण्ड स्कीमों की पद्धति पर आधारित होता है जो अलग-अलग स्कीमों में अलग-अलग होती हैं। तथापि, मुख्य रूप से संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पंजीकृत हो तथा उन्हें महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यन्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये बजट में राज्यवार प्रावधान नहीं रखा जाता।

विवरण

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान अपनी कुछ प्रमुख स्कीमों के अन्तर्गत गुजरात में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को दी गयी वित्तीय सहायता

(रुपये लाखों में)

	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	संगठन का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	कामकाजी महिला होस्टल	1. श्री कुण्डला ताल्लुक भगिनी सेवा मण्डल, सावरकुण्डला।	2.79	8.38	—
			—	0.34	—
		2. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, राजकोट,	—	3.75	4.82
			—	—	2.40
		3. श्री पुतली बाई उद्योग मन्दिर, राजकोट	—	—	4.77
		4. श्री तापीबाई रणछोड़दास गांधी, भावनगर			
		5. एसोसियेशन फॉर सोशल हैल्थ इन इण्डिया, गांधीनगर			
2.	महिला एवं बाल विकास हेतु सामान्य सहायता अनुदान स्कीम	1. रचनात्मक अभिगय न्यास, गुजरात	1.22	—	—
		2. अभ्योदय केन्द्र बड़ोदरा, गुजरात	—	3.50	—
3.	बालवाही पोषाहार कार्यक्रम	1. भारतीय बाल कल्याण परिषद	1.63	3.14	लागू नहीं
		2. हरिजन सेवक संघ	1.96	3.29	लागू नहीं
		3. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	1.28	2.46	लागू नहीं
		4. कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट	4.23	5.42	लागू नहीं
4.	पोषाहार शिक्षा एवं विस्तार गतिविधियां	1. गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेन्शन ट्रस्ट, अहमदाबाद	0.12	0.22	0.27
		2. विकास विद्यालय वाधवन सिटी (सुरेन्द्र नगर)	—	—	0.22
		3. फैमिली प्लैनिंग एसोसियेशन ऑफ इन्डिया, राजकोट शाखा, राकोट	—	—	0.13
		4. स्वरोजगार महिला संगठन, अहमदाबद	—	4.99	—
5.	शिशु गृह/दिवस देखभाल केन्द्र	1. भारतीय बाल कल्याण परिषद	98.00	127.24	158.00
		2. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ			
6.	अल्पावधि गृह	1. एसोसियशेन फॉर सोशल हैल्थ इन इण्डिया गांधीनगर	.00	1.69	0.94
		2. महिला मण्डल, महसाना	—	1.35	—
		3. कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, कोबा	—	0.94	0.50
					0.94
		4. अहमदाबाद वीमैन्स एक्शन ग्रुप, अहमदाबाद	1.19	0.94	0.94
		5. भारतीय आदेमजाति सेवक संघ, दहोद,	1.19	0.81	1.26
		6. श्री विकास विद्यालय, वधवान, सुरेन्द्रनगर	—	—	2.12